

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2004/फाल्गुन 22, 1925

No. 130]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2004/PHALGUNA 22, 1925

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2004

सा. का. नि. 190(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह ''क'' भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक कि उनका संबंध कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्मिक चयन श्रेणी के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीमा सड़क विकास बोर्ड के साधारण रिजर्व इंजीनियर बल में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्मिक चयन श्रेणी, के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम-और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क इंजीनियर सेवा, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) अकृत्मिक चयन श्रेणी समृह ''क'' भर्ती नियम, 2004 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - लागृ होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागृ होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

- निरर्हता : वह व्यक्ति,—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिवत: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| | | | THE RELEASE | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|
| पद का | पदों की | वर्गीकरण | वेतनमान | 7 | यन या अचयन पद | / |
| नाम | संख्या | | | 77. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. कार्यपालक | 48* | सीमा सङ्क इंजीनि | नयरी 12,000-3 | 75- | अचयन | - |
| इंजीनियर | (2004) | सेवा, समृह 'क' | 16,500 স্ | रए | | |
| (सिविल) | *कार्यभार | | | | | |
| अकृत्मिक | के आधार | | | | | a. |
| चयन श्रेणी | पर परिवर्तन | | | | | |
| | किया जा सकता | | | | and final their man | |
| | हैं। | | | | | |
| | सेवा में जोड़े गए वर्षों | का फायदा केन्द्रीय - स | तीधे भर्ती किए जाने | वाले व्यक्तियों | सीधे भर्ती किए जाने वाले | व्यक्तियों वे |
| व्यक्तियों के लिए | सिविल सेवा (पेंशन) | | के लिए अपेक्षित शैं | | ·लिए विहित आयु और शै | |
| आयु-सीमा | नियम 30 के अधीन | | अर्हताएं | | प्रोन्नत व्यक्तियों की व | |
| | है या नहीं | | | | होंगी या नहीं | |
| . 6 | 7 | s application | 8 | | 9 | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 7 | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | - |
| परिवीक्षा की अवधि, यदि | कोई हो भर्ती व | ही पद्धति : भर्ती सीधे | होगी या प्रोन्नति | प्रोन्नति/प्रति | तिनयुक्ति/आमेलन द्वारा भ | र्ती की |
| | द्वारा या | प्रतिनियुक्ति/आमेलन ह | द्वारा तथा विभिन्न | | श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ | |
| | पद्धतिय | में द्वारा भरे जाने वाले प | दों की प्रतिशतता | | क्या जाएगा | |
| 10 | 2 | 11 | | Die Falle | 12 | |
| लागू नहीं होता | | प्रोन्नति द्वारा | - Since broke | प्रोन्नित : | A.F. C. | 1 1 1 1 1 |
| 1 | | | | 10000- | 15200 रुपए के वेतनमान | में कार्यपालव |
| | | | | | (सिविल) जिसने उस श्रेण | |
| | | | | | सेवा की है। | |
| | | | | | | |

12

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

| यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयो से परामर्श किया जाएगा 14 | | | |
|--|---|--|--|--|
| . 13 | | | | |
| समृह ''क'' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिए) में निम्निलिखत होंगे। | के संबंध में विचार करने | इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/ के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामश् | | |
| 1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड | — अध्यक्ष | है। | | |
| उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सङ्क महानिदेशालय | — सदस्य | The state of the s | | |
| निदेशक/उप-सचिव, सीमा सङ्क विकास बोर्ड | — सदस्य | A complete | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|-------|------|--|
| 2. कार्यपालक | 17* | सीमा सड्क इंजीनियरी | 12,000-375- | | अचयन | |
| इंजीनियर | (2004) | सेवा, समूह 'क' | 16,500 रुपए | | | |
| (विद्युत और यांत्रिक) | *कार्यभार | 100000 | | | | |
| अकृत्मिक | के आधार | | | | | |
| चयन श्रेणी | पर परिवर्तन | | | | | |
| | किया जा सकता | | | ra në | | |
| | है। | | | | | |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 10 | 11 | | 12 |
|----------------|------------------|---|--|
| लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा | 1 | प्रोन्नित : |
| | | | 10000-15200 रुपए के वेतनमान में कार्यपालव |
| | | | इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) जिसने उस श्रेण |
| | | | में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। |
| | | | टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में |
| | | ; | जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर |
| | | | ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया ज |
| | | | रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध |
| | | | में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब |
| | | | |
| | | | जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी |
| | | | अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता |
| | | | सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, |
| | | | इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और |
| | | | उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, |
| | | | जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही |
| | | | पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में |
| | | | प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि |
| | | | सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |

| | 13 | | 14 |
|----|--|---------------------------|--|
| सम | हू ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति | ा के संबंध में विचार करने | इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण |
| के | लिए) में निम्नलिखित होंगे:— | | के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक |
| 1. | सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड | — अध्यक्ष | है। |
| 2. | उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सङ्क महानिदेशालय | — सदस्य | |
| 3. | निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास | | and the same of th |
| | बोर्ड | — सदस्य | The same of the sa |

[फा. सं. बी. आर. डी. बी/01/54/98/जीई-I] एस. के. यागनिक, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2004

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in Roads Engineering Service Group 'A' Rules, 1977, in-so-far as they relate to the posts of and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Non-Functional Selection Grade, except

as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical), Non-Functional Selection Grade, in the General Reserve Engineer Force in the Border Roads Development Board in the Ministry of Road Transport and Highways, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Roads Engineering Service, Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical), Non-Functional Selection Grade (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2004.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.—These rules shall apply to the posts of specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 5. Disqualification .- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 6. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Scale of pay (Rs.) | | Whether selection selection post | or non- |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | - Angel | 5 | |
| 1. Executive Engineer | 48* (2004) *Subject to | Border Roads Engineering | Rs. 12,000-37 16,500. | | Non Selection | |
| (Civil) Non- Functional Selection Grade | variation dependent on workload. | Service Group 'A'. | | | | |

| Age limit for direct recruits | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|--|
| - fangir - | Whether benef years of service under Rule 30 Civil Services Rules, 1972 | e admissible of the Central | | al and other quali- equired for direct | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
| 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Not applicable | Not applicable | | Not applic | able | Not applicable |
| | | | | at giopa liana con | |
| Period of probation, if any | Method of rec direct recruitm by deputation/a of the posts to methods | ent or by pron absorption and be filled by v | notion or percentage | | nent by promotion/deputation/ s from which promotion/ otion to be made |
| 10 | 1 | l | | less métags agus | 12 |
| Not applicable | Promotio | n | | Rs. 10000-15; vice in the gra Note:—Where ju qualifying/eli; ered for prom be considered the requisite a more than ha service or two have successf period for pro alongwith the | cer (Civil) in the pay scale of 200 with five years' regular ser- nde. Iniors who have completed their gibility service are being consid- notion, their seniors would also provided they are not short of qualifying/eligibility service by If of such qualifying/eligibility o years, whichever is less and fully completed their probation motion to the next higher grade eir juniors, who have already |
| | | | | completed suc | |
| | to bouldays to pe | Martin | | completed suc | |
| | n Committee exis | sts, | | ircumstances in | ch qualifying/eligibility service. |
| If a Departmental Promotion what is its composition | n Committee exis | sts, | | ircumstances in | which Union Public Service consulted in making recruitment |

[F. No. BRDB/01/54/98/GE-I]
S. K. YAGNIK, Director

Member

Member

Board

Deputy Director General (Personnel)
 Directorate General Border Roads.

 Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board.